न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 17/2019

अनवान :

धर्मपाल पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी गढ़डा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

राजस्थान जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादी

दावा बाबत : घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : वादी

पेरोकार राज : अप्रार्थी सं0 1

निर्णय **दिनांक : 30.07.2019**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गढडा तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 26/37 के खसरा सं0 329/6 की 1.117 है0 बारानी खातेदारी वादी के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादभूमि रिकार्ड माल में वादी धर्मपाल वल्द निहालसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादभूमि वादी की माता गोरा की खातेदारी हुआ करती थी एंव वादी की माता गोरा आदमपुर रहा करती थी। वादभूमि में वादी अपने हक अधिकारों की घोषणा करवाई थी तो वादी के नाम दर्ज हुई। वादी भी पहले आदमपुर ही रहा करता था परन्तु पिछले करीब 20 वर्षो से गांव गढड़ा में रह रहा है तथा वादी के राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि भी गांव गढडा तहसील भादरा के ही बने हुए है।

वादी अपनी खातेदारी पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है जिसके लिए वादी ने बैंक से सम्पर्क किया एवं अपनी खातेदारी का रिकार्ड एवं अपने अन्य दस्तावेजात बैंक में पेश किये तो बैंक वालों ने वादी को कहा कि आपके राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में पता आदमपुर का दर्ज चला आ रहा है तथा आपके राशन कार्ड एवं आधार कार्ड आदि में पता गढडा का दर्ज चला आ रहा है जिसके चलते आपके नाम से किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार वादी के राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में पता भिन्न भिन्न होने के चलते वादी अपनी खातेदारी का सही ढंग से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी पेरोकार राज ने जवाबदावा पेश किया।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि ग्राम गढडा के खाता सं0 26/37 के खसरा सं 339/6 की 1.117 है0 बारानी खातेदारी दर्ज है जो मेरी माता गौरादेवी के देहान्त के बाद मेरे नाम से दर्ज हुई है जिसमें हाल आबाद आदमपुर दर्ज हो गया है जबकि मैं आदमपुर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

दुकानदारी का काम करता हूं जबकि मैं 20 वर्षों से ज्यादा ग्राम गढडा में निवास कर रहा हूं मेरे आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरपंच प्रमाण पत्र सभी दस्तावेजों में निवासी गढडा अंकित है अत : राजस्व रिकार्ड में ग्राम गढडा किया जावे ?

- वादी

2. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी मे वादी धर्मपाल पुत्र निहालसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम गढडा के खाता सं0 26/37 चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम डाबडी खाता सं0 405/394 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये व चित्रप्रति पहचान पत्र, चित्रप्रति आधार कार्ड, चित्रप्रति परिवार राशन कार्ड, चित्रप्रति खसरा गिरदावरी ग्राम गढड़ा पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की माता गोरा की खातेदारी हुआ करती थी एवं वादी की माता गोरा आदमपुर रहा करती थी। गोरा से वादी को उक्त कृषि भूमि प्राप्त हुई है। वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज पते के स्थान पर अन्य दस्तावेजात में दर्ज पता राजस्व रिकार्ड प्रविष्टियों में अमलदरामद किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा गढडा के खाता सं0 26/37 में अपना पता (एड्रेस) दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। हस्तगत प्रकरण में एक तनकी कायम की गई है। वादी ने अपने दावा में जाहिर किया है कि वाद भूमि पहले वादी की माता गोरा की खातेदारी हुआ करती थी वाद भूमि में वादी ने अपने हक अधिकारों की घोषणा करवाई थी जिससे उक्त कृषि भूमि वादी को प्राप्त हुई है जिसकी पुष्टि वादी ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान से करते हुए साक्ष्य में चित्रप्रति पहचान पत्र, चित्रप्रति आधार कार्ड, चित्रप्रति परिवार राशन कार्ड पेश किये है जिसमें प्रार्थी पता ग्राम गढड़ा तहसील भादरा का अंकित है किन्तु उक्त दस्तावेज प्रार्थी के दावा को साबित करने हेतु पर्याप्त नहीं है वादी अपने को 20 वर्षो से गांव गढड़ा में रिहायस होना बता रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत वोटर आईडीकार्ड 2008 का बना हुआ है जिससे वादी के दावा अनुसार 20 वर्ष की भी रिहायस साबित नहीं है। वादी ने अपना वाद साबित करने हेतु ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य यथा मूल निवास प्रमाण पत्र, पुरानी वोटर लिस्ट, बिजली के बिल प्रस्तुत नहीं किये है जिससे वादी राजस्थान का मूल निवासी होना व ग्राम गढ़डा में पुरानी रिहायश होना साबित हो। वादी को अपना वाद अपने पेरों पर खड़ा रहकर साबित करना होता है जिसमें वादी असफल रहा है। इस प्रकार यह तनकी वादी के पक्ष में नासाबित है।

अत : वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 डिक्री योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.7.19

सहायक कलक्टर
(सुखराम पिण्डेल)
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़